प्रेषक,

श्री [illegible],
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।

सैनिक कल्याण अनुभाग — लखनऊ: दिनांक: [illegible]7 जुलाई, 1999.

विषय: कारगिल की लड़ाई में उ०प्र० के वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों का राज्याधीन समूह "ग" एवं "घ" पदों पर सेवायोजन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० शासन द्वारा कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के पुर्नवासन/कल्याण को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि कारगिल की लड़ाई में वीरगति प्राप्त उ०प्र० के मूल निवासी सैनिकों की पत्नियों को निम्न स्थितियों के आधार पर उ०प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के राज्याधीन समूह "ग" एवं "घ" के सीधी भर्ती के पदों पर सेवायोजित किया जाए।

1. यह सेवायोजन कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त उ०प्र० के सैनिकों की पत्नियों को प्रदान किया जायेगा।

2. सेवायोजन उ०प्र० लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह "ग" एवं "घ" श्रेणी के सीधी भर्ती के राज्याधीन पदों पर ही किया जायेगा।

3. सेवायोजन हेतु प्रतिबन्ध होगा कि वीरगति प्राप्त सैनिक की पत्नी पूर्व से राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या राज्य के स्वामित्वाधीन किसी निगम/उपक्रम में सेवायोजित न हो तथा वह आवेदित पद के लिए निर्धारित अर्हता रखती हो।

...2/-

नियुक्ति की तिथि को [illegible]

[illegible] 19 वर्ष से कम हो [illegible] 18 वर्ष की आयु पूरी कर [illegible]

[illegible]

5\.

एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो ।

6\. इस आदेश के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति के प्रति की

जायेगी ।

7\. इस शासनादेश के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र जिस पद

पर नियुक्ति अभिलाषित है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित

किया जायेगा । आवेदन पत्र नियुक्ति प्राधिकारी को सीधे भेजा जाय

तथा इसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी या सैनिक कल्याण

अधिकारी को प्रेषित किया जाय । आवेदन पत्र के साथ आवेदक अपनी आयु

एवं शैक्षिक अर्हता के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करेंगे । साथ ही वीर-

गति प्राप्त सैनिक का विवरण भी दिया जायेगा ।

8\. यदि किसी वीरगति प्राप्त सैनिक की पत्नी इस शासनादेश के

अधीन सेवायोजन हेतु इच्छुक न हो तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा रूपये-

5,000/- (रूपये पांच हजार) प्रतिमाह की पेंशन सुविधा प्रदान की जायेगी ।

प्रतिबन्ध यह होगा कि सेवायोजन अथवा पेंशन में से केवल एक ही सुविधा

अनुमन्य होगी । इस सम्बन्ध में सैनिक कल्याण अनुभाग द्वारा अलग से

विस्तृत आदेश जारी किये जायेंगे ।

9\. इस शासनादेश के अधीन सेवायोजन सम्बन्धी अन्य प्रक्रियाओं

से मुक्त होगा तथा अन्य किसी आदेश में प्रतिकूल बात के होते हुये भी यह

शासनादेश प्रसारित होने की तिथि से लागू माना जायेगा ।

भवदीय,

योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव ।

.....3/-

[illegible]-99-81 [illegible]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक [illegible]

हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, लखनऊ।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0।
4. समस्त मा0 मंत्री गण के निजी सचिव को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उ0प्र0 इलाहाबाद/लखनऊ।
6. सचिव, विधानसभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
7. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0 लखनऊ।
8. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी।
9. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(होरिला प्रसाद वर्मा)

सचिव।